प्रेस विज्ञप्ति

08.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर ने 04.09.2025 को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैंगलोर (विशेष न्यायालय पीएमएलए) के समक्ष मेसर्स कमलाक्षी विविधदेश सहकारी संघ नियमिता, बी वी लक्ष्मीनारायण, श्रीमती आशा राव और श्रीमती राधिका के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत, कमलाक्षी विविधदेश सहकारी संघ नियमिथा, उडुपी के सहकारी समिति घोटाले के संबंध में अभियोजन शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने बी वी लक्ष्मीनारायण, श्रीमती आशा राव और श्रीमती राधिका तथा अन्य के विरुद्ध आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उडुपी सीईएन अपराध पुलिस स्टेशन, कर्नाटक द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि मुख्य आरोपी बी वी लक्ष्मीनारायण (सहकारी समिति के अध्यक्ष) ने श्रीमती आशा राव (सहकारी समिति की प्रबंधक) और श्रीमती राधिका (बी वी लक्ष्मीनारायण की पत्नी और सहकारी समिति की निदेशक) की सहायता से मेसर्स कमलाक्षी विविधदेश सहकारी संघ नियमिथा, उडुपी और मेसर्स गणपति इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर जमाकर्ताओं से 32,73,98,448 रुपये की धनराशि जुटाई थी। 15% प्रति वर्ष तक की ऊँची ब्याज दरों का वादा करके, और वादा किए गए ब्याज और पूँजी चुकौती में चूक करके उन्हें धोखा दिया।

ईडी की जाँच से आगे पता चला कि जमाकर्ताओं से जुटाई गई धनराशि का उपयोग मुख्य आरोपी बी वी लक्ष्मीनारायण ने बाद में अपने और अपनी पत्नी श्रीमती के नाम पर अचल संपत्तियाँ खरीदने के लिए किया। राधिका, जिन्हें वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (केपीआईडीएफई), 2004 के तहत कर्नाटक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुर्क किया गया था।

आगे की जाँच जारी है।